# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1575, 1576 व 1577/2015..... जिला : जयपुर

मैसर्स बेस्ट आईटी वर्ल्ड (इण्डिया)प्रा.लि.,जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, जोन–प्रथम, जयपुर व अपीलीय अधिकारी–प्रथम,वाणिज्यिक कर विभाग,जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **खण्डपीठ**<br>**श्री सुनील शर्मा, सदस्य**<br>**श्री एम.एल.नेहरा,सदस्य** | |
| 09.10.2015 | अपीलार्थी की ओर से श्री मुहम्मद इकबाल, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।<br>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये तीनों अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 22.09.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है ) द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.09.2015, जो अधिनियम की धारा 26 55 एवं 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के लिये पारित किये गये हैं, में विवादित क्रमशः मांग राशि रू. 5,58,654/–,91,218/–व रू. 13,93,796/– के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक (स्थगन) आवदेन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने रू. 5,58,654/–,91,218/– व रू. 13,93,796/– में से रू. 3,28,620/–, रू. 51,836/–एवं रू. 8,49,876/–पर स्थगन प्रदान करते हुए क्रमशः शेष रू. 2,30,034/–, 39,382/–एवं रू. 5,43,920/–पर स्थगन प्रदान नहीं किया है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य क्रमशः शेष रू. 2,30,034/–,39,382/–एवं रू. 5,43,920/–स्थगित करने का निवेदन किया है।<br>राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।<br>उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों में स्थगन | |

हेतु आवेदित रू. 5,58,654/–,91,218/– व रू. 13,93,796/– में से रू. 3,28,620/–,51,836/–एवं रू. 8,49,876/–पर स्थगन प्रदान करते हुए क्रमशः शेष रू. 2,30,034/–,39,382/–एवं रू. 5,43,920/–पर स्थगन प्रदान नहीं किया है। अवशेष राशि रू. 2,30,034/–, रू.39,382/–एवं रू. 5,43,920/– पर स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेशों दिनांक 22.09.2015 में अंकित नहीं किया है । लिहाजा, अपीलों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेशों के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि रू. 2,30,034/–, रू. 39,382/–एवं रू. 5,43,920/– की वसूली को, तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(एम.एल.नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य